

उत्तराखण्ड शासन  
औद्योगिक विकास अनुभाग-2

संख्या : — /VII-A-2/2021/40(सिडकुल)/2014  
देहरादून : दिनांक 23 दिसम्बर, 2021

कार्यालय ज्ञाप

राज्यपाल, मेगा टैक्सटाइल पार्क पॉलिसी, 2014 में निम्नलिखित अग्रेत्तर संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

**मेगा टैक्सटाइल पार्क (संशोधन) पॉलिसी, 2021**

प्रस्तर-5 का संशोधन-मेगा टैक्सटाइल पार्क पॉलिसी, 2014 में स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान प्रस्तर-5 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया प्रस्तर प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात:-

स्तम्भ-1 विद्यमान प्रस्तर	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रस्तर
रु. 75 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश की नई परियोजनायें मेगा टैक्सटाइल पार्क योजना कहलायेंगी। इस नीति के तहत नयी योजनायें एवं विद्यमान टैक्सटाइल उद्योग विस्तारीकरण के तहत रु. 75 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश करने वाली इकाईयां भी आच्छादित रहेंगी।	रु. 75 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश की नई परियोजनायें मेगा टैक्सटाइल पार्क योजना कहलायेंगी। इस नीति के तहत नयी योजनायें एवं विद्यमान टैक्सटाइल उद्योग, जिनका सकल अचल पूंजी निवेश रु. 75 करोड़ से अधिक हो, के उत्पादन क्षमता में कम से कम 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रयोजन के लिए विद्यमान औद्योगिक एकक के संयंत्र एवं मशीनरी के स्थिर पूंजी निवेश के मूल्य में न्यूनतम 25 प्रतिशत या इससे अधिक पूंजी निवेश किया जायेगा, इस नीति के अन्तर्गत आच्छादित रहेंगी।

(अमित सिंह नेगी)  
सचिव।

संख्या: 1592 (1)/VII-A-2/2021/40-सिडकुल/2014, तददिनांकित।  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख निजी सचिव, मा0 औद्योगिक विकास मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण को मा0 मंत्रीगणों के संज्ञानार्थ।
4. प्रमुख निजी सचिव-मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, मंत्रिपरिषद, उत्तराखण्ड शासन।
7. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ।
8. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. महानिदेशक/आयुक्त-उद्योग, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
11. निदेशक-उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
13. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी-हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि आगामी सरकारी गजट में उक्त सरकारी कार्यालय ज्ञाप की 200 प्रतियां प्रकाशित करने का कष्ट करें।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
H  
(उमेश नारायण पाण्डेय)  
अपर सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Articles 348 of 'the Constitution of India', the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 1592/ Dehradun, dated 23.12.21 for general information.

**Uttarakhand Secretariat**  
**Industrial Development Section-2**  
No.: - /VII-A-2/2021/40(SIIDCUL)/2014  
Dehradun : Dated: 23 Dec, 2021

**Office Memorandum**

The Governor, is pleased to allow the following further amendment to the Mega Textile Park Policy, 2014

**Mega Textile Park (Amendment) Policy, 2021**

**Amendment of Paragraph 5:** In the Mega Textile Park Policy, 2014 for the existing paragraph 5 set out in column-1 below, the paragraph as set out in column-2 shall be substituted, namely.

Column-1	Column-2
Existing Paragraph	Paragraph Hereby Substituted
The new projects with a capital investment of more than Rs 75 crore will be called Mega Textile Park Scheme. Under this policy, units having capital investment of more than Rs 75 crore under new projects and expansion of existing textile industry will also be covered.	The new projects with a capital investment of more than Rs 75 crore shall be called Mega Textile Park Scheme. Under this policy, new projects and existing textile industries whose gross fixed capital investment is Rs.75 crores, for the purpose of increasing the production capacity by at least 25 percent, a minimum of 25 percent or more of the value of fixed capital investment of plant and machinery of the existing industrial unit, shall be covered under this policy.

/   
(Amit Singh Negi)  
Secretary

**No.: 1593 (1)/ VII-A-2/2021/40-SIIDCUL/2014, dated**

Copy sent to the following for information and necessary action:-

1. Additional Chief Secretary, Hon'ble Chief Minister, Govt. of Uttarakhand.
2. Principal Private Secretary, Hon'ble Industrial Development Minister, Govt. of Uttarakhand.
3. All Principal Private Secretary, Hon'ble Ministers for the kind perusal of Hon'ble Ministers.
4. Principal Private Secretary-Chief Secretary for the kind perusal of Chief Secretary.
5. All Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Govt. of Uttarakhand.
6. Secretary, Council of Ministers, Govt. of Uttarakhand.